जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।
(जिला राजस्व शाखा)
आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2572, दिनांक-11.04.2017 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-447/रा0, दिनांक-06.05.2017 एवं पत्रांक-502/रा0 दिनांक-19.05.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, जामताड़ा को नगर परिषद, मिहिजाम के अन्तर्गत मौजा- बुटबेड़िया में प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वित करने हेतु मौजा- बुटबेड़िया, थाना सं0-17 खाता सं0-27 दाग सं0-427 रकवा-3.57 एकड़ किस्म- पुरातन पतित सरकारी चिन्हित भूमि का अभिलेखबद्ध प्रस्ताव तैयार कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, जामताड़ा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा मौजा-बुटबेड़िया, थाना नं0-17, खाता सं0-27, दाग सं0-427, किस्म- पुरातन पतित रकवा-3.57 एकड़ चिन्हित सरकारी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अन्तर्विभगीय निःशुल्क भूमि हस्तानान्तरण का अभिलेखबद्ध प्रस्ताव भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता जामताड़ा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-483/रा0, दिनांक-27.05.2017 द्वारा मौजा- बुटबेड़िया, थाना नं0-17, खाता सं0-27, दाग सं0-427, जमीन किस्म- पुरातन पतित रकवा-3.57(तीन एकड़ सन्तावन डी0) एकड़ भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए चेक स्लिप एवं खतियान की प्रमाणित प्रति के साथ ट्रेश नक्शा संलग्न करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क सरकारी भूमि हस्तानान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अभिलेख सं0-04/2017-18 अनुशंसा के साथ भेजी गयी है। तदनुसार अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा द्वारा अंचल जामताड़ा के नगर परिषद मिहिजाम के अन्तर्गत मौजा-बुटबेड़िया, थाना नं0-17, खाता सं0-27, दाग सं0-427, किस्म- पुरातन पतित रकवा-3.57 (तीन एकड़ सन्तावन डिसमिल) एकड़ चिन्हित सरकारी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तानान्तरण हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख सं0-04/2017-18 प्राप्त हुआ है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प सं0-4/रा0भू0- नीति-154/2016- 5504/रा0, दिनांक 07.10.2016 द्वारा अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को

Galaxy A23 5G

प्रत्यायोजित की गई है। उक्त संकल्प में निहित प्रावधानों एवं अपर समाहर्त्ता, [illegible] के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद मिहिजाम के अन्तर्गत मौजा-बुढ़ेडिया, थाना नं0-1[illegible], [illegible] सं0-27, दाग सं0-427, किस्म- पुरातन पतित रकबा-3.57 (तीन एकड़ सन्तावन डिसमिल) एकड़ चिन्हित सरकारी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उक्त भूमि का 06 (छह) माह के अन्तर्गत उपयोग नहीं किये जाने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं उक्त भूमि पुनः वापस ले ली जायेगी।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 25(मु0)/रा0, दिनांक 27.05.17

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मिहिजाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
जामताड़ा।

ज्ञापांक 25(मु0)/रा0, दिनांक 27.05.17

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनकी सेवा में उनके पत्रांक-2572, दिनांक-11.04.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
जामताड़ा।

Galaxy A23 5G